न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 64 / 2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

रोहिताश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादी

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रमेश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुमन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

श्री कुलदीप मूण्ड — वकील वादी
श्री गगन मिढ़ा — वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :— 12.3.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 73 / 68 जमावन्दी सम्वत् 2073—76 में 1.1396 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमावन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि इसी चक के अन्य खाता में

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त कर ली तथा प्रतिवादी सं. 3 जो कि विवाहित है। वह अपने ससूराल में राजी खुशी रहकर अपना जीवनयापन कर रही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

(क) वादी रोहिताश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 73/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1.012 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 महावीर प्रसाद पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 73/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.1276 है. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 तां 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्मं से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 2 व 3 को विधिक वारिसान होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 73/68 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में दर्ज 1.1396 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी रोहिताश कुमार ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 73/68 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबन्दी की प्रति एवं चक 6 एएमपी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तरण संख्या 296 दिनांक 14.12.1996 एवं चक 7 एएमपी नामान्तरण संख्या 839 दिनांक 16.05.2023 की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 73/68 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 महावीर प्रसाद पुत्र ईशरराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 7 एएमपी नामान्तरण संख्या 839 दिनांक 16.05.2023 की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 महावीर प्रसाद पुत्र ईशरराम के नाम चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 73/68 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीहात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि- चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 73/68 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 महावीर प्रसाद पुत्र ईशरराम के नाम दर्ज आराजी मे से 1.012 है. आराजी का वादी कैलाश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का तदानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री आलम से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राम कौशिक)
[illegible]
[illegible]
[illegible]

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 64/2025

रोहिताश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. रमेश कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुमन पुत्री श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते अनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 73/68 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 महावीर प्रसाद पुत्र ईशरराम के नाम दर्ज आराजी मे से 1.012 है. आराजी का वादी रोहिताश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल.........X..मुब्लिक.......X.....निल........X......बाबत्....X.......निल.500/-....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..12.3.2025..................को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया